

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जौलकांडे-शीशाखानी मोटर मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राकलन मय मानचित्र

नोट- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के पत्र संख्या 11-168 / 2009-एफ.सी. दिनांक 14.02.2012 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण का 07 से 10 वर्ष तक रख-रखाव करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर निर्धारित कर प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रेषित की जाती है। उक्त दर में वृक्षारोपण का तीन वर्ष तक रख-रखाव का प्राविधान होता है। प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा उक्त दर में वृक्षारोपण के 07 से 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राकलन में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।

-----संलग्न है-----

वनक्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जौलकांडे-शीशाखानी मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि.मी. के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.2354 है० के दुगुने अर्थात् 4.4708 है० में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना।

- परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर में जौलकांडे-शीशाखानी मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी०
- पौधारोपण स्थल का नाम- ग्राम बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर सिविल सोयम भूमि - क्षेत्रफल 4.4708 है०
- रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - 4.4708 x 1100 = 4918 पौधे
- रोपित की जाने वाली प्रजाति - हरड़, आवला, बहेड़, बांज, फल्यांट, कवैराल, भीमल, रीठा आदि।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई / संख्या	दर प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं एवं सीमांकन	4.4708	97.00	433.67
2	स्थल सफाई एवं झाड़ी कटान।	4.4708	584.00	2610.95
3	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य आदि (10 है० को आधार मानकर)	4.4708	7750.00	34648.70
4	कुली दीवाल निर्माण प्रति है० 84 घ०मी० औसत	376.00	315.00	118440.00
5	गड्ढा खुदान (0.30 x 0.30x 0.45)	4.4708	7.33	32.77
6	निरीक्षण बटिया	4.4708	485.00	2168.34
7	पौधों का मूल्य	4918	5.89	28967.02
8	औजार तेज कराई		LS	400.00
	1- प्रथम चरण का योग			187701.44
1	गड्ढा भरण (0.30 x 0.30x 0.45)	4918	1.15	5655.70
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष।	4918	1.15	5655.70
3	पौध डुलान कार्य (25 % नंगी तथा 75 % वैग पौध रोपण तथा 25 कि.मी. वाहन व 3 कि०मी० सिरबोझ औसत पर)	4918	6.39	31426.02
4	पौधारोपण व थावलबंदी	4918	2.06	10131.08
5	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	4918	0.76	3737.68
6	रसायनिक खाद व दवा प्रति सैकड़ा पौध।	4918	0.23	1131.14
7	देखरेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 10 है० पर)।	4.4708	4768.00	21316.77
8	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.4708	350.00	1564.78
9	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.4708	225.00	1005.93
10	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु सप्रशिक्षण तृती अग्नि सुरक्षा में सउल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को सप्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.4708	400.00	1788.32
11	ब- प्रोत्साहन	4.4708	200.00	894.16
12	अन्य व्यय जैसे साईन बोर्ड, वर्ष में 2-3 बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्य का प्रचार प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	4.4708	700.00	3129.56
	2- द्वितीय चरण का योग			87436.84
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुसक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० के आधार पर)।	4.4708	7152.00	31975.16
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.4708	350.00	1564.78
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.4708	225.00	1005.93
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु सप्रशिक्षण तृती अग्नि सुरक्षा में सउल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को सप्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.4708	310.00	1385.95
5	ब- प्रोत्साहन	4.4708	200.00	894.16
3	3- तृतीय चरण का योग			36825.98
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुसक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० के आधार पर)।	4.4708	7152.00	31975.16
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.4708	350.00	1564.78
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.4708	225.00	1005.93
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु सप्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.4708	310.00	1385.95
5	ब- प्रोत्साहन	4.4708	200.00	894.16
4	4- चतुर्थ चरण का योग			36825.98
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुसक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० के आधार पर)।	4.4708	7152.00	31975.16
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.4708	200.00	894.16
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.4708	150.00	670.62
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु सप्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.4708	310.00	1385.95
5	ब- प्रोत्साहन	4.4708	200.00	894.16
	5- पंचम चरण का योग			35820.05

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	4.4708	7152.00	31975.16
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.4708	350.00	1564.78
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.4708	225.00	1005.93
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.4708	310.00	1385.95
5	ब- प्रोत्साहन	4.4708	200.00	894.16
	6- षष्ठम चरण का योग			36825.98
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	4.4708	7152.00	31975.16
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.4708	350.00	1564.78
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.4708	225.00	1005.93
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.4708	310.00	1385.95
5	ब- प्रोत्साहन	4.4708	200.00	894.16
	7- सप्तम चरण का योग			36825.98
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	4.4708	7152.00	31975.16
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.4708	350.00	1564.78
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.4708	225.00	1005.93
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.4708	310.00	1385.95
5	ब- प्रोत्साहन	4.4708	200.00	894.16
	8- अष्टम चरण का योग			36825.98
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	4.4708	7152.00	31975.16
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.4708	350.00	1564.78
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.4708	225.00	1005.93
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.4708	310.00	1385.95
5	ब- प्रोत्साहन	4.4708	200.00	894.16
	9- नवम चरण का योग			36825.98
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	4.4708	7152.00	31975.16
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.4708	350.00	1564.78
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.4708	225.00	1005.93
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.4708	310.00	1385.95
5	ब- प्रोत्साहन	4.4708	200.00	894.16
	10- दशम चरण का योग			36825.98
	महायोग (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्ठम + सप्तम + अष्टम + नवम + दशम चरण)			568740.19
			अर्थात् रु0	568740.00

(रूपये पांच लाख अड़सठ हजार सात सौ चालीस मात्र)

वनक्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर
प्रमाणित
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

प्रमाणित
बागेश्वर
प्रमाणित
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग